न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 02/14

1. भगवानदास ।
2. प्रेमसिंह । पुत्रगण स्व0 रामचरन समस्त जाति कुशवाह निवासी बालगोविन्द
3. भगवान सिंह । का पुरा तहसील व जिला धौलपुर
4. मोहन सिंह ।
5. रनवीर सिंह ।
6. धनीराम ।
7. सुरेश ।

———— अपीलाण्ट

बनाम

1. रोशन पुत्र तुलुआ
2. प्रेमसिंह ।
3. बच्चूसिंह ।
4. निहाल सिंह । पुत्रगण
5. बनवारी । हुकमसिंह
6. सुरेश ।
7. हेतराम ।
8. उदयभान । पुत्रगण
9. पोखन सिंह । बाबू
10. दामोदर । पुत्र
11. देवीराम । तुलुआ
12. छिद्दा पुत्र अर्जुन
13. श्रीचन्द । पुत्र
14. अन्तराम । धर्मजीत
15. राजाराम ।
16. केवली । पुत्र
17. देवलाल । खेमा
18. चूरामनि ।
19. चतुरी पुत्र बुद्धा
20. मानसिंह । पुत्रगण
21. रामचन्द । ललई

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

समस्त जाति कुशवाह निवासी बालगोविन्द का पुरा मांगरोल तहसील व जिला धौलपुर राज0

----- रेस्पोडेंट

22. ग्राम पंचायत मांगरोल जरिये सरपंच महोदय।
23. रामनिवास । पुत्रगण
24. देवसिंह । गीताराम
25. रामजीलाल ।
26. अमरसिंह । पुत्रगण
27. होमत । मोतीराम
28. सुरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह नावा. सरपरस्ती दादी फूलनदेवी पत्नी स्व. रामचरन समस्त जाति कुशवाह निवासी बालगोविन्द का पुरा तहसील व जिला धौलपुर।
29. राज. सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील धौलपुर।

----- तरतीवी रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 26.01.1975 ग्राम पंचायत मांगरोल

निर्णय

दिनांक – 01.06.18

प्रार्थी की ओर से अपील प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि खसरा नम्बर 80 रकवा 1 वीघा 15 विश्वा, 81 रकवा 1 वीघा 13 विश्वा, 82 रकवा 1 वीघा 14 विश्वा, 83 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा, 117 रकवा 9 विश्वा, 118 रकवा 9 विश्वा, 862 रकवा 2 वीघा 3 विश्वा, 876 रकवा 1 वीघा 14 विश्वा, 881 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा, 882 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा, 883 रकवा 1 विश्वा, 884 रकवा 18 विश्वा, 885 रकवा 1 वीघा, 905 रकवा 1 वीघा 7 विश्वा, 930 रकवा 17 विश्वा, 934 रकवा 1 वीघा 10 विश्वा, 941 रकवा 17 विश्वा, 942 रकवा 1 वीघा, 943 रकवा 1 विश्वा, 944 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा, 945 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा, 946 रकवा 1 विश्वा, 947 रकवा 2 वीघा 12 विश्वा, 1300 रकवा 2 वीघा 11 विश्वा, कुल किता 24 कुल रकवा 29 वीघा 2 विश्वा ग्राम मांगरोल तहसील व जिला धौलपुर, खसरा नम्बर 112 रकवा 8 विश्वा, 113 रकवा 14 विश्वा, 114 रकवा 9 विश्वा, 115 रकवा 7 विश्वा, 116 रकवा 9 विश्वा वाके ग्राम मांगरोल तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार धर्मजीत, छिद्दा पिसरा अर्जुन हिस्सा बराबर 1/4, राजाराम, केवली, देवीलाल, चूरामनि, पिसरान पिसरान खेमा हिस्सा बराबर 1/8, चतुरी पिसरान बुद्धा हिस्सा 1/8, दामोदर, देवीराम, रोशन, हुकमसिंह पिसरान तुलुआ हिस्सा बराबर 1/4, लालपति, मोतीराम, रामचरन पिसरान तितुरिया हिस्सा बराबर 1/4 एवं खाता संख्या 116 में लालपति रामचरन, मोतीराम, पिसरान तितुरिया

उपखण्डाधिकारी

Scanned by CamScanner

हिस्सा बराबर 1/5, मानसिंह, रामचन्द पिसरान ललई हिस्सा बराबर 1/5, राजाराम, केवली, देवलाल, चूरामनि पिसरान खेमा हिस्सा बराबर 1/5, दामोदर, देवीराम, रोशन, हुकमसिंह पिसरान तुलुआ हिस्सा बराबर 1/5, छिद्दा पिसरान अर्जुन, श्रीचन्द, अन्तराम पिसरान धर्मजीत हिस्सा बराबर 1/5 कौम काछी साकिन देय खातेदार थे और इसी हैसियत से मौके पर काविज हो कर संयुक्त रूप से काश्त करते रहे। रामचरन, मोतीराम व लालपति तीनों का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान अपीलाण्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेंट हैं। हुकमसिंह का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 7 हैं। बाबू का देहान्त हो चुका है उनके वारिसान रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9 हैं। आराजी का खातेदारों के मध्य वाहमी बटवारा हो गया था और उसके मुताविक अलग–अलग काविज हो कर काश्त करते रहे थे और वर्तमान में भी मुताविक वाहमी बटवारा अलग–अलग काविज होकर काश्त कर रहे हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 लगायत 7 के पिता दामोदर, देवीलाल व रेस्पोडेंट संख्या 8 व 9 के पिता बाबू के हिस्से में खसरा नम्बर 81 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा, 876 रकवा 1 वीघा 14 विश्वा, 118 रकवा 9 विश्वा, 881 रकवा 1 वीघा 8 विश्वा, 113 रकवा रकवा 14 विवा हिस्से में आये एवं अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेंट के पिता लालपति, मोतीराम, रामचरन पिसरान तितुरिया के हिस्से में खसरा नम्बर 117 रकवा 9 विश्वा, 905 रकवा 1 वीघा 7 विश्वा, 945 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा, 946 रकवा 1 वीघा 1 विश्वा, 947 रकवा 2 वीघा 12 विश्वा, 1300 रकवा 2 वीघा 11 विश्वा आये थे और तभी से वो उन खसरा नम्बरान पर काविज होकर काश्त कर रहे हैं। उनके देहान्त के बाद अपीलाण्ट उनके हिस्से में आई आराजी पर काबिज हो कर काश्त कर रहे हैं। खसरा नम्बर 117 में अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेंट के द्वारा जोती बाई फसल मौके पर खडी है। अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेंट के पिता एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 लगायत 9 के पिता एवं अन्य खातेदारान ने तहसीलदार के समक्ष कोई बटवारा नहीं किया। अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेंट के पिता बहुत ही सीधे–साधे अनपढ व्यक्ति थे वो कभी राज काज में नहीं जाया करते थे। रेस्पेंडेट संख्या 1 व 2 लगायत 9 के पिता ने तत्कालीन सरपंच से मिलकर बिना कोई विधिवत बटवारा किये बिना अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेंट को पूछे हुये बटवारे का दाखिला खारिज 192 पटवारी से भरवाकर तस्दीक कर दिया जो विधि विरूद्ध है यह अपील इसी नामान्तकरण के विरूद्ध है प्रस्तुत है। सरपंच को बटवारा करने व बटवारा का दाखिला तस्दीक करने का कोई अधिकार नहीं था ना ही वर्तमान में है। इसलिये विवादित नामान्तकरण काविल खारिजी है। नामान्तकरण के खाना संख्या 24 में यह लिखा है कि बटवारा आदेश ता. शा. धौलपुर दिनांक 8.4.75 है किस क्रमांक से बटवारे को जारी किया गया किस उनवाने से बटवारा जारी किया गया इसका नामान्तकरण के अन्दर कोई हवाला नहीं है। तहसीलदार द्वारा किये बटवारे का नामान्तकरण खोलने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं था। दिनांक 15.01.14 को रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 9 अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 117 जिस पर वो हमेशासे फसल करते चले आ रहे हैं और अपीलाण्ट के द्वारा जोती बोई फसल में अपीलाण्ट के द्वारा जोती बोई फसल में अपीलाण्ट को बिना पूछे हुये नाप तोल करने लगे तब अपीलाण्ट

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

ने कहा कि हमारे खेत को क्यों नाप रहे हो तो उन्होंने बताया कि हमें पटवारी हल्का ने बताया है कि यह खसरा हमारे नाम है इसलिये अब हम इस खेत में अपना मकान बनायेंगे तुम्हें जबरदस्ती बेदखल करेंगे। पटवारी के पास जाकर पता किया तो पता चला कि खसरा नम्बर 117 की जगह 118 लिख दिया गया है। अपीलाण्ट ने कहा कि तुमने गलत करा लिया है हम इस खेत को नहीं देंगेतो उन्होंने कहा कि यह खेत हमारे नाम है हम तुम्हें जबदरस्ती बेदखल कर देंगे। अपीलाण्ट ने रिकार्ड दिखवाया तब पता चला कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 9 के पिता ने सरपंच व पटवारी से मिलकर नामान्तकरण संख्या 192 बटवारे का हवाला देते हुए तस्दीक करा लिया है जिसमें खसरा नम्बर 117 को अपने नाम एवं 118 को अपीलाण्ट व तरतीवी रेस्पोडेंट के पिताओं के नाम लिख दिया है इसलिये यह नामान्तकरण काबिल खारिजी है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेंट एवं अन्य गांव के व्यक्तियों से कह कर पंचायत बुलाई व खसरा नम्बर 117 को अपने नाम व 118 को उनके नाम करने का अनुरोध किया लेकिन वह किसी भी कीमत पर नहीं माने और दिनांक 25.01.14 को रेस्पोडेंट ने अपीलाण्ट के खसरा नम्बर 117 के चारो कोने पर खण्डे डाल दिये एवं नीम खोदना शुरू कर दिया तब अपीलाण्ट नेखोदने से रोकने की काशिस की तो झगडा करने पर उतारू हो गये तब यह अपील पेश की जा रही है। यह कि ग्राम पंचायत द्वारा यह नामान्तकरण बिना अधिकार के तस्दीक किया गया है इसलिये यह नामान्तकरण शुरू से ही नल एण्ड बौइड है इसलिये ऐसे आदेश व नामान्तकरण के विरूद्ध कभी भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है इसलिये नामान्तकरण की जानकारी होने से अन्दर म्याद प्रस्तुत है। अपीलाण्ट के द्वारा अपील स्वीकार की जाकर नमान्तकरण संख्या 192 तारीखी 26.07.1975 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेंट जरिये अभिभाषक उपस्थित आये। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मांगरोल में पेश हुयी। उभयपक्ष उपस्थित आये। उभयपक्ष को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपलपीलाण्ट का कथन है कि विवादित आराजी अपीलाण्ट व रैस्पोडेण्ट के पूर्वजों की संयुक्त खातेदारी की भूमि है अपीलाण्ट व रैस्पोण्डेण्ट के द्वारा आज भी उसी अनुसार काश्त की जा रही है। रैस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 21 के पूर्वजों के द्वारा पटवारी स सरपंच से साज करके बटवारे का नामान्तकरण संख्या 192 ग्राम पंचायत मांगरोल से तस्दीक करा लिया है जो कि कानूनन सही नहीं है। अपीलाण्ट व रैस्पोण्डेंट के पूर्वजों के मध्य कोई बटवारा नहीं हुआ था और ना ही ग्राम पंचायत अथवा सरपंच को बटवारा करने एवं बटवारे के नामान्तकरण को तस्दीक करने का अधिकार था। रैस्पोडेंट ने निवेदन किया कि विवादित आराजी का पूर्वजों के मध्य विधिवत बटवारा होकर ही उस बटवारे के अनुसार विवादित नामान्तकरण खोला गया था। वर्तमान में बटवारा अनुसार ही अपीलाण्ट व रैस्पोडेंट विवादित आराजी पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। अब इतने वर्षो के पश्चात अपीलाण्ट

उपखण्डाधिकारी
...पुर (राज)

Scanned by CamScanner

को बिना किसी कारण के नामान्तकरण संख्या 192 ग्राम मांगरोल को निरस्त कराने का कोई अधिकार नहीं होता है। अतः अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलाण्ट द्वारा पेश की गयी प्रमाणित प्रति नामान्तकरण संख्या 192 ग्राम मांगरोल के अनुसार नामान्तकरण के कालम संख्या 14 में बटवारा आदेश दिनांक 8.4.75 अंकित किया गया है। उक्त नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत मांगरोल के द्वारा स्वीकृत किया गया है। बटवारा आदेश की प्रति पत्रावली में संलग्न नहीं है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि आदेश किसके द्वारा जारी किया गया है। रैस्पोडेंट के द्वारा कोई जबाव पेश नहीं किया गया है और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये गये हैं। रैस्पोडेंट बटवारा आदेष की प्रति पेश करने में भी असफल रहे हैं। यदि मान भी लिया जावे कि पक्षकारान के मध्य तत्समय कोई बटवारा हुआ था तो भी बटवारे के नामान्तकरण को स्वीकार करने का अधिकार ग्राम पंचायत को प्राप्त नहीं होता है। यह नामान्तकरण राजस्व अधिकारी के द्वारा स्वीकृत किया जाना चाहिये था। उक्त तथ्यों के अनुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण संख्या 192 दिनांक 26.01.75 ग्राम मांगरोल निरस्त किया जाकर तहसीलदार धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देते हुए साक्ष्यों के आधार पर पुनः विधिअनुसार कार्यवाही करें। तहसीलदार को परवाना जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत मांगरोल में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner